...आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ...
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27-10-2017
को प्रस्तुत।
1793
27-10-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(13)

।। श्री ।।

अपील प्रकरण क्रमांक : /2016-17

प्रस्तुति दिनांक : 09/02/2017

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2017/4661

श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

श्री रतनसिंह पिता श्री रामचंद्र भाबौर भील

निवासी :- ग्राम कलदेला तहसील थांदला

जिला झाबुआ (म.प्र.) ....प्रार्थी

विरूद्ध

श्री नरसिंह पिता कल्ला भाबौर भील

निवासी :- ग्राम कलदेला तहसील थांदला

जिला झाबुआ (म.प्र.) ....रिस्पांडेन्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 533/अपील/2016-17 में दिनांक 28/08/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/झाबुआ/भूरा/17/4661 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर पटेली पद हेतु संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत पुनः विज्ञप्ति का प्रकाशन कर विधिवत् आवेदन पत्र बुलाये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय में पुनः आवेदन देने का अवसर उपलब्ध है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपील अमान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	